

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1926/ Type Approval No.: 1926

मद / FOR ITEM: विनिर्देश एएमएस 5618 डी हेतु एमडीएन 440 सी (हॉट रोल्ड बार्स)

(नॉन वेल्डेबल एप्लिकेशन्स मात्र)

MDN 440 C (Hot Rolled Bars) to the Specification AMS 5618 D (Non – Weldable Applications only)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड़, पोस्ट कंचनबाग, हैदराबाद – 500 058 द्वारा विकसित तथा उत्पादित, " नॉन वेल्डेबल एप्लिकेशन्स मात्र हेतु एमडीएन 440सी (हॉट रोल्ड बार्स)" को वैमानिक अनुप्रयोंगों हेतु, आर सी एम ए (पदार्थ), हैदराबाद द्वारा उल्लिखित नियंत्रक विनिर्देश सं. एएमएस 5618 डी और टेस्ट शेड्यूल रिपोर्ट सं. आरसीएमए (एम)/78, दिनांक 15 जनवरी 2001, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।।

This is to certify that the Corrosion Resistant Steel "MDN 440 C (Hot Rolled Bars) for Non – Weldable Applications only", developed and manufactured by M/s Mishra Dhatu Nigam Limited, Post Kanchanbagh, Hyderabad – 500 058 has been tested as per Governing Specification Number: AMS 5618 D and Test Schedule Report Number: RCMA (M)/78, dated: 15th January 2001 outlined by RCMA (Materials), Hyderabad for aeronautical applications. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ठ / Page 01 of 02

ਧੂਬ / Page 02 of 02 ਟੀ ए सਂ./ TA No. 1926

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 सितम्बर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगत, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, इसके बाद इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सिम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (पदार्थ), हैदराबाद – 500 058 से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30^{th} September 2022 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Materials), Hyderabad – 500 058, for subsequent renewal, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वार गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by **DGAQA**, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न / Encl : परिशिष्ट 'ए/ Appendix 'A'

सं. / No.: सेमिलेक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA -1926

दिनांक / Date: **3** । October 2017 फैक्स सं. / Fax No: 080-25230856

27/10/17 IR

पी . जयपाल / P. JAYAPAL मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)